

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 16-5-2019

-कार्यालय ज्ञाप-

प्रदत्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संवत् 2018-20 हेतु विद्यार्थी संख्या संबंधी विस्तार/पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाता हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, (आर) लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु आवेदित नई संख्याओं को सम्बद्धता/पुर्न से संतुष्टित संख्याओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता पुष्टि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसरण में सम्बद्धता समिति की बैठक 17.5.2019 में विद्यार्थी संख्या संबंधी विस्तार प्रदान करने वाली नई संख्या का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यह विचार-विमर्श कर सिफारिश निर्गत किया गया -

ऐसी नवस्थापित विस्तार इन फार्मसी संख्याएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संख्याओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रदेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संख्याओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।

उक्त विन्यासुसार स्थापित संख्या को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या श्रेणी	संख्या का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2019	अणुजीवविज्ञान, पौष्टिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव-अणु जीव-अणु विज्ञान, जीव-अणु विज्ञान, जीव-अणु विज्ञान	विज्ञान इन फार्मसी	80	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा विचारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1987 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली, 1992 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निधीकरण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन एपीए इन्टीर पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,50,00/- प्री-गर्भ दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,00,00/- प्री-गर्भ एवं एक तथा दो वार्षिक फार्मसी (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम) के



**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी प्रावधिकरण ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु किलोमा परीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्याय, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदीं पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में किलोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवात् निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2071	असतोपिन्द्रका कॉलेज ऑफ फार्मसी, विलेज एच० गे०- बबीरगंज, तह०-मधुबनी, बिहार।	किलोमा इन फार्मसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था पी०आई०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एच० 1862 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, संशोधन विनियमवाली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इकाई पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा

H-11

से प्राप्त किया जायेगा। पदवीका के अतिरिक्त काग/कागार्जी से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साशन द्वारा निर्गत किये जाने वाले साशनपत्रों प्रेषणी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सीन विवरण सविधि द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जेंटिड फार्मों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों की शिक्षा का जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत साशनपत्रों को अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/रीजिस्ट्रार/वीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधान/अभिविनियम/साशनपत्रों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उपाय प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि वीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शिक्षक का स किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बध्य उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंधन नहीं होगा।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए अर्जेंटिड फार्मों प्रेषित हेतु अर्जेंटिड फार्मों प्राप्त होने के पूर्व वीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (अर्जेंटिड फार्मों के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत नवीनतम आचार्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि, स्टाफ, सत्र-संख्या, उपकरण, प्रेषित किया जाने वाला शुल्क, आचार्य शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को निरीक्षण-प्रतिक्षण हेतु उपर्युक्त साशनपत्र उपलब्ध करने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सर्वे, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इतनी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थाएं संस्था की सम्बद्धता बनाए रखने के लिए अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०बी० सिंह)  
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

सत्र दिनांक 15-08-2020

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, आर०बी०एस० कॉलेज जी० फार्मसी, बिल्डिंग एण्ड पी०- बनीसीमान, 2020-नवाबगंज, बाराबंकी।

(डा० आर०बी० सिंह)  
सचिव

**कार्यवाही**

**शिक्षण, पारिवारिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- पारिवारिक शिक्षा परिषद/2021/3537

तारीख दिनांक: 08/10/2021

**कार्यवाही का पत्र**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारसी की कटिंगियाँ और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विनोद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त पारिवारिक शिक्षा परिषद, 30वां जलनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/10/2021 को परिषद कार्यवाही से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुषंग में विनियम संस्था को पारिवारिक शिक्षा परिषद, 30 वां जलनक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विनियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम: 2071-R.P.S. COLLEGE OF PHARMACY VILL & POST-BABURGAON TEHSIL-NAWABGANJ, BARABANKI-225502

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/पीसीओ/आर/द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/पीसीओ/आर/द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिवारिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा पारिवारिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेक्टर विनियमकारी-2018 तथा अन्य विनियमित शर्तों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्टी/ पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायः व्यवस्था से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त व्यवस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पत्रों को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की न्यूनतम दो लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त पारिवारिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुषंग निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीटों/पीसीओ/आर/द्वारा सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबले गये विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, पारिवारिक शिक्षा, 30वां जलनक प्रवेश परीक्षा परिषद, 30वां तथा पारिवारिक शिक्षा परिषद, 30वां द्वारा कबले गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ विनोद इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.ओ. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पारिवारिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, पारिवारिक शिक्षा निर्देशालय एवं पारिवारिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कार्यवाही किया जाता है तथा कार्यवाही के संबंध में भी न्यायवाचक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।



- ✓ विप्लववादी एवं वामपंथी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षागत/विषयगत परीक्षा होने के पूर्व पीसीओआईओ से अनुसूचित जात/जाति परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आयोजित) के माध्यम से प्रवेश संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश जारी/आदेश आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि भूमि, संस्था, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-विवरण हेतु उपलब्ध कराया/उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में चलायित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-स्वातन्त्र्य, पानी/वा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण टोकन यदि संस्था में भूमि, स्वतन्त्र, प्रयोग/आवास, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीओआईओ/पीसीओआईओ/परिषद के सम्बन्ध/सूचना उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निचला/उच्चतर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0स0- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/2538-4809

दिनांक: 09/05/2021

व्यक्तिगत -

प्राजासामाजिक/प्रा.स.स. COLLEGE OF PHARMACY VKL & POST-SABURIGAON TEHSIL-NAWABGANJ, BARABANKI-225302



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

